न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 56/2024

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री नसीरूद्दीन शेख पुत्र स्व. श्री कमरूद्दीन (विक्रेता), मैसर्स मदीना होटल, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर
2. श्री जमरूद्दीन शेख पुत्र स्व. श्री कमरूद्दीन (मालिक), मैसर्स मदीना होटल, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर
3. मैसर्स मदीना होटल, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

अभिभाषक : श्री इज्जत खान, अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक– 09.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) दही काविक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र आवंटन नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.05.2024 को 01:15 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अजय कुमार मोयल मैसर्स मदीना होटल, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत श्री नसीरूद्दीन मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 2024 का खाद्य अनुज्ञा पत्र चाहे जाने पर विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय एक भगोनी में लगभग 07–08 किलोग्राम दही आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त दही कीं गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 800 ग्राम दही 96/– रूपयें नकद श्री नसीररूद्दीन को नगद देकर गवाह श्री केसरी नन्दन शर्मा के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री नसीरूद्दीन को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा दही को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में 200 ग्राम) में भरकर प्रत्येक बोतल में 16–16 बूंन्द फार्मेलीन की डालकर प्रत्येक बोतल को एयरटाईट ढक्कन से बन्द कर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4317 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/3328 दिनांक 04.06.2024 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/598/एक्ट/2024/626 दिनांक 27.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 21.11.2024 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 21.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री नसीरूद्दीन शेख व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 15.01.2025 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 30.01.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री इज्जत खान ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 23.05.2025 को लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया।

नियत पेशी को वकील अप्रार्थी उपस्थित हुए तथा पूर्व में प्रस्तुत अपने लिखित प्रत्युत्तर में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि परिवाद के चरण 1 से 4 में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि प्रार्थी स्वयं करें चूंकि उक्त चरणों में

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

उल्लेखित दस्तावेजों की प्रति नोटिस के साथ प्राप्त नहीं हुई है व उनकी जानकारी में भी नहीं है। उन्होनें कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं के उपरोक्त प्रतिष्ठान में उत्पन्न क्वालिटी की खाद्य सामग्री का ही विक्रय किया जाता है और दही भी प्रतिष्ठित डेयरी (वन्दना डेयरी, पान दरीबा के पास, रेल्वे स्टेशन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर) से ही खरीदी जाती है। उन्होने यह भी कथन किया उनके द्वारा उत्तम गुणवत्ता की दही का उपयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में दही सबस्टेण्डर्ड होना पूर्णतया असत्य होने के कारण अस्वीकार है जिस सम्बन्ध में प्रार्थी सांक्ष्य प्रस्तुत करे। अन्त में उन्होने यह निवेदन किया निर्णय करने से पूर्व अप्रार्थीगण को प्रार्थी व प्रार्थी साक्षियों से जिरह का अवसर प्रदान करे। अन्त में उनके द्वारा परिवाद असत्य तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री नसीरूद्दीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी श्री नसीरूद्दीन को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 अन्तर्गत अप्रार्थी श्री नसीरूद्दीन पर रु. **25,000/– (अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र)** शस्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 09.07.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 09.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।

3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।

4. श्री नसीरूद्दीन शेख पुत्र स्व. श्री कमरूद्दीन (विक्रेता), मैसर्स मदीना होटल, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर।
5. श्री जमरूद्दीन शेख पुत्र स्व. श्री कमरूद्दीन (मालिक), मैसर्स मदीना होटल, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर।
6. मैसर्स मदीना होटल, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर